

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड

UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN-U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
RAX No. : 0522-2287701 Ext. 4653



रजिस्टर्ड/कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
फोन: 0522-2287037
फैक्स नं० : 0522-2287701 वि०-4653

संख्या- 1155/का० एवं प्रशा०/जविनिलि०/22-03(45)/2001

दिनांक: 05.05.2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा भर्ती होकर कराई गई चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अस्पतालों की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत निम्नलिखित आदेशों (छायाप्रति संलग्न) को इस निगम में अंगीकृत किया जाता है:-

- 1- कार्यालय ज्ञाप संख्या 1225-औसं-17 / पाकालि / 2022-11(01)ए०एस० / 09 (20) दिनांक 06.04.2022
- 2- कार्यालय ज्ञाप संख्या 1226-औसं-17 / पाकालि / 2022-11(01)ए०एस० / 09 (20), दिनांक 06.04.2022
- 3- कार्यालय ज्ञाप संख्या 1227-औसं-17 / पाकालि / 2022-11(01)ए०एस० / 09 (20), दिनांक 06.04.2022

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1155 / का० एवं प्रशा०/जविनिलि/22-03(45)/2001 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक (तकनीकी) / (वित्त), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 2- मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०) / (एम०पी०एस०), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 3- उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
- 5- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वह आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
- 6- लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण) / (वेतन एवं लेखा) / (पेंशन), उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 7- चिकित्सा सलाहकार, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित हारस्पिटल।
- 9- कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

उपमहाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1225-औस-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/०९ (20)

दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 31.10.2021 से अग्रेतर दिनांक 01.11.2021 से 30.04.2022 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-2241-औ०सं०-17/पाकालि/2021 दिनांक 16.08.2021 की सूची-2 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं नवीनतम पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो दिनांक 30.04.2022 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03, तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औस/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 31.10.2021 से अग्रेतर दिनांक 01.11.2021 से 30.04.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम व जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रमावी तिथि
1	शालीमार हॉस्पिटल, ए-989, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	30.04.2022
2	डा० सुबोध अग्रवाल, मेमोरियल, आई हॉस्पिटल, 3-सी/1 अपोजिट राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।	30.04.2022
3	मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर।	30.04.2022

- उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- चिकित्सालयों के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-1225-(1) औस-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः 2/-

Medical New Letter

DS
R/S
8/4/22

PO
02/03
08/04/2022

Ram Nath
11/04/2022

13/4/22

6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्योच्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल, वाराणसी/पश्चिमाञ्चल, मेरठ/दक्षिणाञ्चल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वितन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई०एम०सी०ए० रोड, सेक्टर-8 फरीदाबाद।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

Naft Mathur
(नवनोत माथुर) 6.4.22

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1226-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/०९ (20)

दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 31.07.2021 से अग्रेतर दिनांक 01.08.2021 से 30.04.2022 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1501-औसं०-17/पाकालि/2021 दिनांक 15.06.2021 के अनुक्रम में कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं नवीनतम पंजीकरण प्रमाण-पत्र जो दिनांक 30.04.2022 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/०२, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन दिनांक 31.07.2021 से अग्रेतर दिनांक 01.08.2021 से 30.04.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम व जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	लाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 560/95 कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.04.2022
2	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा०लि०, 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	30.04.2022

- उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:- 1226-(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः 2/-

DGM (P&A)

08/4/22

Medical New Letter

08/4/22

08/04/2022

Sri Ram Nath

11/04/22

NK

4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, लाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 560/95 कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ।
15. सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा०लि०, 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
19. कट फाइल।

भवदीय,

Naf Mattu
(नवनीत माथुर) 6.4.22

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-1227-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए०एस०/०९ (20)

दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-2241-औ०सं०-17/पाकालि/2021 दिनांक 16.08.2021 द्वारा 13.12.2021 तक मान्यता प्राप्त सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई०एम०सी०ए० रोड, सेक्टर-8 फरीदाबाद की मान्यता पूर्ववत् चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त समस्त वांछित अभिलेख एवं नवीनतम पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 17.12.2021, जो जिला पंजीकरण प्राधिकरण, हरियाणा सरकार के द्वारा निर्गमन तिथि से एक वर्ष तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/०२, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा आदेश संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अधीन तदनुक्रम में दिनांक 14.12.2021 से दिनांक 16.12.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-1227 -(1) औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः 2/-

Medical New Letter

08/4/22

08/4/22

08/4/22

Sri Ran Nath

08/4/22

Nal

(2)

6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, ३०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), ३०प्र० जल विद्युत निगम लि०, १२वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), ३०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, ३०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), ३०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, ३०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, (A unit of Anshu Hospitals Ltd.) वाई०एम०सी०ए० रोड, सेक्टर-८ फरीदाबाद।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), ३०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (३०प्र०), १०३ कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिकासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-४०७, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

NaA Mathur
(नवनीत माथुर) 6.4.22

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

NaA